निर्णय इजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 57/2021

तारीख दायरा 08.06.2021

उनवान

1. भवानीशंकर पुत्र बाबूलाल जाति धाकड,
2. रघुराज पुत्र बाबूलाल जाति धाकड,
3. कमल कुमार पुत्र बाबूलाल जाति धाकड निवासी कैलाशपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. विजयलक्ष्मी पुत्री बाबूलाल पत्नी लक्ष्मीचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम कैलाशपुरा हाल निवासी किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा। — वादीगण

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड,
2. सत्यनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम कैलाशपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. होशियारबाई उर्फ निर्मला पुत्री प्रभूलाल पत्नी मदनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कैलाशपुरा हाल निवासी ग्राम मंडाप तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. गुमानीशंकर पुत्र द्वारकालाल जाति धाकड निवासी ग्राम कैलाषपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,54,88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादीगण) दिनांक :— 28.09.2021

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:14 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है तथा आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है :-

-: विवरण आराजीयात :-

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
रामगढ	नई 33	18	4.70 है0
		19	1.73 है0
		22	0.15 है0
		23	1.28 है0
		24	1.28 है0
		25	0.16 है0
		26	0.60 है0
		285	0.09 है0

कुल 8 किता की कुल 9.99 हैक्टर आराजी

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
रामगढ	नई 34	293	2.05 है0
		294	0.03 है0
		362	0.20 है0
		364	0.03 है0
		427	0.07 है0
		428	0.01 है0
		429	0.04 है0
		430	0.01 है0
		431	1.26 है0
		527	1.00 है0
		528	0.05 है0
		71	0.12 है0
		72	0.02 है0
		73	0.09 है0
		74	0.22 है0

कुल 15 किता की कुल 5.20 हैक्टर आराजी

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
सलोनिया	नई 35	81	0.05 है0
		82	1.08 है0
		83	1.05 है0
		89	1.02 है0

कुल 4 किता की कुल 3.20 हैक्टर आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है तथा आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है :-

-: विवरण आराजीयात :-

मात ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
रामगढ	नई 33	18	4.70 है0
		19	1.73 है0
		22	0.15 है0
		23	1.28 है0
		24	1.28 है0
		25	0.16 है0
		26	0.60 है0
		285	0.09 है0

कुल 8 किता की कुल 9.99 हैक्टर आराजी

मात ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
रामगढ	नई 34	293	2.05 है0
		294	0.03 है0
		362	0.20 है0
		364	0.03 है0
		427	0.07 है0
		428	0.01 है0
		429	0.04 है0
		430	0.01 है0
		431	1.26 है0
		527	1.00 है0
		528	0.05 है0
		71	0.12 है0
		72	0.02 है0
		73	0.09 है0
		74	0.22 है0

कुल 15 किता की कुल 5.20 हैक्टर आराजी

मात ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
सतोनिया	नई 35	81	0.05 है0
		82	1.08 है0
		83	1.05 है0
		89	1.02 है0

कुल 4 किता की कुल 3.20 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नीमेड़ जिला कोटा

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की पुश्तैनी आराजी है, तथा प्रतिवादी नं0 4 ने बद्रीलाल के हिस्से में से माल ग्राम रामगढ खाता सं0 नई 34 की आराजी में से 1/8 हिस्सा खरीद किया हुआ है, जिससे प्रतिवादी नं0 4 सहखातेदार के रूप मे दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 3 के पिता द्वारा उनके जीवनकाल में ही करीब 30 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से आराजीयात का मौके पर पारिवारिक विभाजन कर लिया था, जिसके मुताबिक ही वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 अपने अपने हिस्से में आयी आराजी को काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त पारिवारिक विभाजन दिनांक 11.07.86 को सभी पारिवारिक सदस्यों द्वारा तहरीर किया जाकर सादा तहरीर की गई थी जो भी वाद पत्र के साथ संलग्न है। और उक्त पारिवारिक विभाजन अनुसार निम्न प्रकार आराजीयात हिस्से में आयी है :–

अ. हिस्सा वादीगण :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
रामगढ	नई 33	18	4.70 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		19	1.73 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		22	0.15 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		23	1.28 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		24	1.28 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		25	0.16 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		26	0.60 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		285	0.09 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी

कुल 8 किता की कुल 9.99 हैक्टर आराजी में से 1/2 हिस्सा पूर्वी

नोट :– उक्त खाता सं0 नई 33 की आराजी मौके पर एक चक के रूप में स्थित है, जिसका पूर्वी हिस्सा वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है व शेष 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ का प्रतिवादी नं0 1 बद्रीलाल पुत्र प्रभूलाल के हिस्से में आया है जिसे प्रतिवादी नं0 1 बद्रीलाल मौके पर शांति पूर्व काश्त करता चला आ रहा है।

ब. हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी नं0 4 :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
रामगढ	नई 34	293	2.05 है0
		294	0.03 है0
		362	0.20 है0
		364	0.03 है0
		427	0.07 है0
		428	0.01 है0
		429	0.04 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:14 IST
Reason: SelfAttested

430	0.01 है0
431	1.26 है0
527	1.00 है0
528	0.05 है0
71	0.12 है0
72	0.02 है0
73	0.09 है0
74	0.22 है0

कुल 15 किता की कुल 5.20 हैक्टर आराजी

नोट :– उक्त वर्णित आराजीयात मौके पर एक चक के रूप में स्थित है, जिसमें 1/8 हिस्सा पर प्रतिवादी नं0 4 गुमानशंकर काबिज है तथा शेष आराजी वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिस पर आज भी वादीगण ही काबिज काश्त है।

स. हिस्सा वादीगण :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
सलोनिया	नई 35	81	0.05 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		82	1.08 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		83	1.05 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		89	1.02 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी

कुल 4 किता की कुल 3.20 हैक्टर में से 1/2 आराजी

द. हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
रामगढ	नई 33	18	4.70 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		19	1.73 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		22	0.15 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		23	1.28 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		24	1.28 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		25	0.16 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		26	0.60 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी
		285	0.09 है0 में 1/2 हिस्सा परिवेनी

अर्थात कुल 8 किता की कुल 9.99 हैक्टर आराजी मे से 1/2 हिस्सा परिवेनी

नोट :– उक्त खाता सं0 नई 33 की आराजी मौके पर [illegible] चक के रूप में स्थित है. जिसका पूर्वी हिस्सा वादीगण काबिज काश्त [illegible] शेष 1/2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

पश्चिमी तरफ का प्रतिवादी नं0 1 बद्रीलाल पुत्र प्रभूलाल के हिस्से में आया है जिसे प्रतिवादी नं0 1 बद्रीलाल मौके पर शांति पूर्व काश्त करता चला आ रहा है।

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
सलोनिया	नई 35	81	0.05 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		82	1.08 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		83	1.05 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी
		89	1.02 है0 में 1/2 हिस्सा पूर्वी

अर्थात कुल 4 किता की कुल 3.20 हैक्टर आराजी में से 1/2 हिस्सा पूर्वी

प्रतिवादी नं0 2 सत्यनारायण द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर माल ग्राम रामगढ तहसील सांगोद में स्थित अन्य आराजी को बंटवारे में प्राप्त कर अलग से खाता दर्ज करवा लिया है, जिससे अब उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नं0 2 सत्यनारायण का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 3 होशियारबाई ने उक्त वर्णित आराजीयात व अन्य पुश्तैनी आराजीयात में से अपनी हिस्सा अपनी स्वेच्छा से, बिना कोई राशि प्रतिफल प्राप्त किये बगैर मात्र स्नेहवश रिलीज कर दिया है।

उक्त वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादीगण की माता स्व0 कैलाशबाई का नाम बतौर सहखातेदार है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, ऐसी स्थिति में मृतक कैलाशबाई का नाम हटाये जाने की घोषणा किया जाना आवश्यक है।

उक्त वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में शामलाती खाते दर्ज होने से वादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात का विकास कार्य करवाने में भी काफी परेशानी होती है तथा वादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पडता है, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार तहसील कार्यालय में चलकर आराजी का पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन अनुसार मौके पर कब्जे काश्त का ध्यान में रखते हुए बंटवारा करवाने की कहने पर भी प्रतिवादीगण सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे माननीय न्यायालय में मौखिक पारिवारिक विभाजन अनुसार आराजी का विभाजन करवाना आवश्यक हुआ है जिसके लिए माननीय न्यायालय में घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व विभाजन कृषि भूमि हेतु उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे कि :—

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वाद पत्र में वर्णित माल ग्राम रामगढ पटवार हलका मंडीता के खाता सं0 नई 33 कुल किता 8 कि कुल 9.99 हैक्टर व खाता सं0 नई 34 के कुल किता 14 की कुल 5.20 है0 व माल ग्राम सलोनिया पटवार हलका मंडीता के खाता सं0 नई 35 कुल किता 4 की कुल 3.20 हैक्टर आराजीयात का मौके पर पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन अनुसार वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित बंटवारा व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा उक्त घोषणा अनुसार आराजी के विभाजन किया जाकर घोषणा व विभाजन की डिकी पारित की जावे तथा राज लगान प्रथक प्रथक अंकन किया जावे। उक्त विभाजन अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दमराद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें। उक्त घोषणा अनुसार वादीगण की माता कैलाशबाई का स्वर्गवास हो जाने उसका नाम खाते से डिलीट किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमया जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर ने इकबाली जवाव दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र अनुसार वाद स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 1 व 4 की तलवी हो चुकी है परन्तु बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहे तथा प्रतिवादी सं. 5 की ओर से भी जवाब सरकार अप्राप्त है। वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं इकबाली जवाब के आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली के गहनता से अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 4 एवं 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली में उपलब्ध इकवाली जवाव दावा, नकल जमाबंदी, समस्त दस्तावेजात एवं पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम विवेचन करने के उपरान्त दावा वादी स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से डिकी किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम रामगढ पटवार हलका मंडीता के खाता सं0 नई 33 कुल किता 8 कि कुल 9.99 हैक्टर व खाता सं0 नई 34 के कुल किता 14 की कुल 5.20 है0 व माल ग्राम सलोनिया पटवार हलका मंडीता के खाता सं0 नई 35 कुल किता 4 की कुल 3.20 हैक्टर आराजीयात स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण की माताजी कैलाशबाई पत्नि बाबूलाली फौत हो जाने के कारण नाम खाते से हाटाया जावें। उक्त आराजी पर पक्षकारों की सहमति से मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार अथवा वाद पत्र में वर्णित बंटवारा अनुसार अन्यथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से पृथक से दर्ज कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमीश्नर फीस 200 रूपये मुकर्रर की जाती है। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव राज. का. अधि. की धारा 21 के अनुसार तैयार कर उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावें। प्रतिवादी सं. 3 होशि... बाई के हिस्से की आराजी की हद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:47:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

तक रीलिज डीड शुल्क जमा होने के उपरान्त ही उक्त आदेश की पालना की जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद.
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद
सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:14 IST
Reason: SelfAttested